झारखण्ड सरकार

## नगर विकास एवं आवास विभाग — 550 / 25/01/18

**संकल्प**

**विषयः—केन्द्र प्रायोजित योजना अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत 14806.03 लाख रु॰ की लागत पर स्वीकृत राँची शहरी जलापूर्त्ति परियोजना (फेज—1) की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

नगर विकास एवं आवास विभाग 74वें संविधान संशोधन के आलोक में नागरिकों को मौलिक/बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कृत संकल्प है। इस क्रम में राँची शहरी जलापूर्त्ति परियोजना का सूत्रण किया गया है। परियोजना के चरणवार क्रियान्वयन के निमित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसके अनुसार राँची शहरी जलापूर्त्ति परियोजना (फेज—1) की प्राक्कलित राशि 14806.03 लाख (एक सौ अड़तालीस करोड़ छः लाख तीन हजार) रु॰ है। यह परियोजना आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अमृत योजनांतर्गत स्वीकृत की गई है। तैयार किए गए DPR पर विभागीय तकनीकी कोषांग द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. राँची शहरी जलापूर्त्ति परियोजना (फेज—1) के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र में लगभग 75897 घरों के विरुद्ध 13699 घरों में ही जलापूर्त्ति कनेक्शन उपलब्ध है। प्रस्तावित क्षेत्र में समुचित वितरण व्यवस्था (Distribution Network) की अनुपलब्धता के कारण शेष घरों तक जलापूर्त्ति कनेक्शन उपलब्ध करा पाना वर्तमान परिस्थिति में संभव नहीं है।

3. प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र हेतु वर्तमान में कार्यरत जलापूर्त्ति व्यवस्था के तहत अधिष्ठापित 248 MLD क्षमता के Water Treatment Plant (WTP) का उपयोग किया जाएगा। यह WTP प्रस्तावित क्षेत्र के वर्ष 2050 तक की माँग (162.99 MLD) के आधार पर निर्मित है।

4. प्रस्तावित परियोजना में अपर्याप्त वितरण व्यवस्था (Distribution Network) के कारण उत्पन्न कठिनाईयों के निराकरण एवं भविष्य के मांग को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2050 तक की योजना के अनुसार Network Design तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षमता वाले कुल 14 नए जल—मिनारों (ELSRs) का निर्माण किया जाएगा।

5. इस परियोजना के अंतर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सभी Service Level Benchmarks को ध्यान में रखा गया है एवं भविष्य के मांग के आधार पर 24×7 जलापूर्त्ति व्यवस्था का प्रावधान किया गया है।

6. अमृत योजना के दिशा—निर्देशिका की कंडिका—5 के उपकंडिका—5.1 के अनुसार प्रस्तावित परियोजना के DPR में रख—रखाव (Operation & Maintenance) की तय समय—सीमा 5 वर्ष निर्धारित की गई है।

7. इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अमृत योजनांतर्गत प्रस्तावित जलापूर्त्ति परियोजनाओं के लिए मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत किए गए Model Bid Document का उपयोग किया जायेगा।

8. इस परियोजना के प्रस्तावित अवयव निम्नलिखित है :—

| Components | Details |
|---|---|
| **ESR (14 Nos)** | 2.45 ML – 1 No., 2.30 ML - 1 No, 2.15 ML – 1 No, 2.05 ML – 3 Nos, 2.00 ML – 2 Nos, 1.95 ML – 1 No, 1.85 ML – 1 No, 1.65 ML – 1 No, 1.55 ML – 1 No, 1.45 ML - 1 No and 1.40 ML – 1 No. |
| **Distribution System** | Total Length (Existing + Proposed) - 569.07 KM (100% coverage) |
| **SCADA** | Up to ESR outlet |
| **House connection & consumer Metering** | 100% coverage of proposed area (75897 Connection) |

9. परियोजना के क्रियान्वयन की अनुमानित राशि का ब्यौरा निम्नवत् है :–

| Sl. No. | Item Description | Total Amount (Rs. in Lakhs) |
|---|---|---|
| 1 | Estimate of Distribution System (23 Sub Zone) | 6,819.81 |
| 2 | Estimate of Elevated Service Reservoirs (14 Nos.) | 1,775.47 |
| 3 | Estimate of NH 23 & NH 75 Crossing | 66.62 |
| 4 | House Service Connection with meter (75897 nos.) | 3,156.56 |
| 5 | AMR meter (100 nos.) for 50 mm pipe dia. @ INR 37960 | 37.96 |
| 6 | EMP and Environmental Monitoring | 45.32 |
| 7 | Centralized SCADA Center with automation equipment | 964.69 |
| 8 | Repair of Existing GLSR at Harmu Pahari | 2.79 |
| | **Total (A)** | **12,869.22** |
| | **Detailed Project Report Phase-1** | |
| 1 | Labour Cess @ 1% on (A) | 128.69 |
| 2 | JUIDCO Charges (योजना–सह–वित्त विभाग के संकल्प सं. 3201 दिनांक 04.11.2016 के अनुसार) | 548.69 |
| 3 | DPR Consultancy Charges @ 0.97% on (A) | 124.83 |
| 4 | PMC Charges @ 2.06% on (A) | 265.11 |
| | **Total (B)** | **1,067.32** |
| | **Total CAPEX (A) + (B)** | **13936.54** |
| | **5 years Expenditure in Operation & Maintenance** | |
| 1 | Operation and Maintenance for 1st Year excluding annual repair charges | 72.75 |
| 2 | Operation and Maintenance for 2nd Year (As per item no. 1+10% of item no. 1) including annual repair charges | 132.01 |
| 3 | Operation and Maintenance for 3rd Year (As per item no. 2+10% of item no. 2) | 145.21 |
| 4 | Operation and Maintenance for 4th Year (As per item no. 3+10% of item no. 3) | 159.73 |
| 5 | Operation and Maintenance for 5th Year (As per item no. 4+10% of item no. 4) | 175.71 |
| 6 | SCADA O&M (Lumpsum for 5 Years) | 184.08 |
| | **Total OPEX (C)** | **869.49** |
| | **Total Project Cost (A) + (B) + (C)** | **14,806.03** |

550
25/01/18

10. उपरोक्त तालिका के अनुसार जलापूर्ति परियोजना की लागत राशि (CAPEX) 13936.54 लाख रु. है एवं रख–रखाव की राशि (OPEX) 869.49 लाख रु. है। अमृत योजना के दिशा–निर्देशिका की कंडिका–5 के उपकंडिका–5.1 के अनुसार उपर्युक्त परियोजना के लागत राशि (CAPEX) का वित्त पोषण निम्नलिखित स्रोतों से किया जाएगा :–

*(Amount in Lakhs)*

| Name of Project | Approved Project Cost (CAPEX) | Central Share | State Share | ULB Share | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14th F.C. | Others |
| Ranchi Water Supply Scheme | 13936.54 | 4645.51 | 5574.62 | 2973.12 | 743.29 |

11. परियोजना की लागत राशि (CAPEX) का 33.33% केन्द्रांश, 40% राज्यांश तथा शेष निकाय अंश के रूप मे देय होगा। स्वीकृत किए गए SAAP के अनुसार निकाय अंश का 80% 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत उपलब्ध निधि से किया जायेगा एवं शेष 20% राज्य सरकार द्वारा अमृत योजना के राज्यांश अंतर्गत कर्णांकित राशि से देय होगा।

12. उपर्युक्त परियोजना के रख–रखाव में (5 वर्षो के लिए) व्यय होने वाली राशि (OPEX) का वहन राज्य योजना अंतर्गत 'पेयजल जलापूर्ति के लिए शहरी निकायों को सहाय्य अनुदान मद' से किया जायेगा। *(मुख्य शीर्ष–2215–जल पूर्ति तथा सफाई, उप मुख्य शीर्ष–01–जल पूर्ति, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–01–पेयजल जलापूर्ति के लिए शहरी निकायों को सहाय्य अनुदान, विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, 79–सहायता अनुदान सामान्य (गैर–वेतन)*

13. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के आलोक में अमृत अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु प्राप्त केन्द्रांश एवं आवश्यक राज्यांश की राशि राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के अंतर्गत अमृत योजना के पृथक बैंक खाते में संधारित किया जाना है। योजना–सह–वित्त विभाग से अनुमोदनोपरांत राज्य शहरी विकास अभिकरण के अंतर्गत अमृत परियोजनाओं हेतु एक पृथक बैंक खाता संधारित किया गया है, जिसमें परियोजनाओं हेतु निर्गत

केन्द्रांश एवं राज्यांश की राशि संधारित है। अतः उपर्युक्त परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली संस्था को नियमानुसार राशि का आवंटन राज्य शहरी विकास अभिकरण के स्तर से किया जायेगा।

14. राँची नगर निगम से प्राप्त अनुरोध के आलोक में परियोजना के पूंजीगत व्यय (CAPEX) से संबंधित कार्य का क्रियान्वयन जुडको लि॰ द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात् जुडको लि॰ द्वारा परियोजना राँची नगर निगम को हस्तांतरित कर दी जाएगी। रख–रखाव व्यय (OPEX) से संबंधित कार्यों का क्रियान्वयन राँची नगर निगम के स्तर से किया जायेगा।

15. परियोजना के रख–रखाव हेतु निर्धारित 5 वर्ष की समय–सीमा के लिए एक कार्य योजना (O&M Plan) तैयार की गई है, जिसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :–

क) रख–रखाव हेतु चयनित संस्था की वांछित योग्यता का निर्धारण किया गया है।

ख) गुणवत्ता एवं निर्बाध सेवा को ध्यान में रखते हुए मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर उक्त कार्य हेतु चयनित संवेदक के भुगतान का आकलन किया जायेगा।

ग) रख–रखाव अवधि के दौरान संवेदक द्वारा मीटर रिडींग कर निकाय के द्वारा निर्धारित किए गए जल उपभोग शुल्क (Water User Charges) के अनुसार नवीनतम तकनीकों (E-mail, SMS आदि) का प्रयोग करते हुए सभी उपभोक्ताओं को विपत्र उपलब्ध कराया जायेगा। निकाय अथवा निकाय द्वारा राजस्व/कर संग्रहण करने हेतु चयनित संस्था के माध्यम से उपभोक्ताओं द्वारा इस विपत्र के विरुद्ध भुगतान किया जा सकेगा।

घ) संवेदक को रख–रखाव के विरुद्ध राशि का भुगतान परियोजना के निविदा दस्तावेज में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

16. उपरोक्त परियोजना के विभिन्न अवयवों के निर्माण हेतु आवश्यक भूखंड राँची नगर निगम को उपलब्ध है।

17. क्रमांक–9 में अंकित DPR की कुल राशि 14806.03 लाख (एक सौ अड़तालीस करोड़ छः लाख तीन हजार) रु॰ की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त है।

18. उपर्युक्त प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–09.01.2018 में मद संख्या–10 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

**आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राज्य के असाधारण राज्य पत्र में प्रकाशित किया जाए।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

24.1.18

**(अरूण कुमार सिंह)**

सरकार के प्रधान सचिव।

**ज्ञापांक**–SUDA/AMRUT/R.W.S. (Phase-1)-152/2017 550 राँची, दिनांक– 25/01/18

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं राजकीय गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.1.18

सरकार के प्रधान सचिव।

**ज्ञापांक**–SUDA/AMRUT/R.W.S. (Phase-1)-152/2017 550 राँची, दिनांक– 25/01/18

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, झारखण्ड/निदेशक, राज्य शहरी विकास अभिकरण/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/विशेष सचिव, सभी संयुक्त सचिव, सभी उप सचिव, सभी अवर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची/उपायुक्त, राँची/नगर आयुक्त, राँची नगर निगम/महाप्रबंधक (जल संसाधन), जुडको लि॰/श्री कुणाल कुमार, विभागीय वेब मैनेजर को सूचनार्थ प्रेषित।

24.1.18

सरकार के प्रधान सचिव।